

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

रीडर/2019/1499

दिनांक - 28/06/19


प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
जमाल 2 इस्माईल पिसरान सुभान जाति मुसलमान निवासी सिन्धियों की ढाणी (सांजटा) तहसील व जिला बाड़मेर।		1 आदम खां 2 अरू खां 3 कोजा खां पिसरान सुमार 4 हाजी खां पुत्र मेहराण खां 5 मूसा खां 6 हासा खां पिसरान मुरीद खां जाति मुसलमान 7 मिश्राराम 2 देराजराम पिसरान सिरामाराम जाति नाई 9 बाबुराम 10 राजुराम पिसरान पदमाराम जाति जाट निवासी सिन्धियों की ढाणी सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 71/2019

दिनांक- 27/06/19

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सिन्धियों की ढाणी पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 916/666 रकबा 16.05 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 28/06/19

क्रमांक :- रीडर/2019/1500-03

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. जमाल पुत्र सुभान खां वगैराह जाति मुसलमान निवासी सिन्धियों की ढाणी (सांजटा) तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी आदम पुत्र सुमार खां वगैराह जाति नाई निवासी सिन्धियों की ढाणी (सांजटा) तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर